न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
22/2023	23/05/2023	07/01/2026

1 कल्याण पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बिजावता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल निवास घोडीगॉव तहसील अन्ता जिला बांरा राज०

प्रार्थी

–बनाम–

1 उर्मिला पत्नि श्री गिर्राज जाति मीना निवासी नलावता तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2 गिर्राज पुत्र अर्जुन उर्फ अर्जुनलाल जाति मीना निवासी नलावता तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3 निर्मला पत्नि गिर्राज उर्फ गिरिराज जाति मीना जाति मीना निवासी नलावता तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
4 राजाराम दत्तक पुत्र रामपाल पुत्र श्री अर्जुनलाल जाति मीना जाति मीना निवासी नलावता तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हेमन्त शर्मा एड0।
अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री इन्द्रजीत मीणा एड0।
अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री एस0टी0एच0 आब्दी एड0।

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेद्याज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिजावता पटवार हल्का रनोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 55 पुरानी 7 में खसरा नम्बर 11 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 197 रकबा 3.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 317 रकबा 1.93 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 6.03 हैक्टेयर कृषि आराजीयात् है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है प्रार्थी तद्नुसार उक्त कृषि आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थी विगत् लम्बे समय से बाहर निवास करते रहने से प्रार्थी को स्वयं काश्त करने मे असुविधा उत्पन्न होती है इस वजह से प्रार्थी को अपना हिस्सा पृथक दर्ज करवाया जाना आवश्यक हो गया है, इस वजह से प्रार्थी को अपना हिस्सा पृथक दर्ज करवाया जाना आवश्यक हो गया है, तदर्थ प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत है। प्रार्थी द्वारा शेष सहखातेदारन को तद्नुसार बंटवारा करने हेतु कई बार निवेदन किया गया है किन्तु शेष सहखातेदारन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिये जाने से प्रार्थी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पडा है। प्रार्थी द्वारा तत्संदर्भ मे अप्रार्थी क्रम 05 तहसीलदार महोदय पीपलदा को बंटवारा हेतु निवेदन किया गया किन्तु उनके द्वारा समस्त खातेदारान की सहमति के अभाव मे बंटवारा करने में असमर्थता जाहिर करने एवं विगत् दिनांक 05.05.2023 को बंटवारे से इन्कार कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर प्रार्थी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया। विगत् दिनांक 10.05.2023 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगणो से बंटवारे हेतु निवेदन करने पर उनके द्वारा स्पष्ट इन्कार कर देने एवं वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के कब्जे की भूमि को जबरन हांक देने की धमकी प्रदान करने से प्रार्थी को वाद कारग लगातार प्राप्त है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है प्रार्थी खातेदार कृषक है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है एवं संयुक्त काश्त की आड में अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य मे कामयाब हो जाते है, प्रार्थी को अपने कब्जे से वचिंत कर देते है तो प्रार्थी को ऐसी अपुर्णिय क्षति कारित हो जायेंगी जिसका मुद्रा मे मुल्याकंन हो पाना सम्भव नहीं हो पायेंगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण निम्न आशय की अस्थायी निषेद्याज्ञा प्रसारित फरमी जावें कि प्रार्थना पत्र मे वणित कृषि आराजी मे वादी के निहित हिस्से 1/4 की भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा अवरोध आदि उत्पन्न नही करें। प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई मदाखलत व मजाहमत स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधिगण उत्पन्न नही करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री हेमन्त शर्मा एड0 ने पेश किए। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 ता 4 की ओर से श्री एस0टी0एच आब्दी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 1 की ओर से श्री इन्द्रजीत मीणा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीकम 2 ता 4 को जवाब में काफी अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी कम 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सर्वथा असत्य, आधारहीन एवं मनगढन्त आधारो पर हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। क्योकि प्रार्थी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त विवादित कृषि आराजी मे निहित अपने हिस्से को दिनांक 28/05/2018 को क्रय किया था तथा मौके पर खसरा संख्या 197 रकबा 3.26 है., पश्चिम दिशा पर कब्जा प्राप्त किया था तभी से अप्रार्थी क्रम 1 खसरा संख्या 197 रकबा 3.26है., पश्चिम दिशा पर काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा की आड मे अप्रार्थी क्रम 1 को बेदखल नही किया जा सकता है। अप्रार्थी क्रम 1 वादग्रस्त भुमि की सह खातेदार है। कानूनन सह खातेदार का संयुक्त खातेदारी की भूमि मे प्रत्येक इंच पर कब्जा अभिधारित है। इसलिए सह खातेदारी की भूमि पर सह खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। मुल वाद धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दायर किया हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिकख प्रार्थी एवं अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार अंकित है। जिससे मामला प्रथम दृष्टया आंशित रूप से प्रार्थी तथा आंशिक रूप से अप्रार्थी के पक्ष में है। बंटवारे के निर्णय से पहले कौनसा हिस्सा किसका है यह सामान्यतया निर्धारित नहीं होता है तथा पक्षकार अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी भूमि न्यायालय से प्राप्त करने के लिए वाद दायर करते है। क्योंकि इस पर उभयपक्ष में सहमति नहीं होती है। ऐसे में यह संभव है कि अच्छे, उपयोगी तथा मूल्यवान भूखण्ड पर कोई एक पक्ष काबिज हो तथा वाद के चलने के दौरान वह उसे रहन, बेचान, दान, त्यागपत्र इत्यादि के माध्यम से या तो खुर्द–बुर्द कर दे या अन्यत्र अंतरित कर दे जिससे दूसरे पक्ष को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना रहेगी। इससे भूमि पर अन्य पक्षकारों के स्वामित्व सृजन होने से वाद में पक्षकारों की संख्या बढेगी इससे वादों में बहुलता और जटिलता दोनों होना संभावित है। अतः सुविधा संतुलन भी आंशिक रूप से उभयपक्षों के पक्ष में है। अतः यह न्यायहित व पक्षकारों के हित में है कि विवादित भूमि पर रिकॉर्ड की स्थिति का संरक्षण किया जाये। अतः ग्राम बिजावता पटवार हल्का रनोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 55 पुरानी 7 में खसरा नम्बर 11 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 197 रकबा 3.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 317 रकबा 1.93 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 6.03 हैक्टेयर कृषि भूमि पर प्रार्थी तथा अप्रार्थी रिकॉर्ड अर्थात राजस्व अभिलेख की यथास्थिति मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक बनाये रखे तथा विवादित भूमि का किसी भी प्रकार से अन्य पक्ष को अंतरण, भारग्रस्त या व्ययन नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा